

अखण्ड भारत संदेश

www.akhandbharatsandesh.net

नगर संस्करण प्रयागराज

शुक्रवार 19 अप्रैल 2024

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को दुत्थाति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेट

बैंगलुरु में जय श्रीराम
बोलने पर तीन को
पीटा

बैंगलुरु

रामनवमी के दिन बैंगलुरु में 'जय श्रीराम' बोलने पर तीन युवकों को पीटने की घटना सामने आई है। इससे जुड़ा एक लोडिंग लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी वीजेपी में एक व्यक्ति 'जय श्रीराम नो, हु अकबर' कहता सुआई दे रहा है। मामले में पुलिस ने एफआरआर दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बृद्धबाल दोपहर करीब 3:30 बजे की है। पुलिस के अनुसार पवन कुमार गहलौल और विनायक निवासी संजीवनीनगर कार से एमएसपी पल्ल्य इलाके की ओर जा रहे थे वे जय श्रीराम बोल रहे थे। उनके पास भगवा ध्वज भी था। तभी विवकाबेहाललू इलाके के पास दो बाइक सवार पीछे से आकर करने को रोकते हैं। वह दोनों की पहचान करना और समीक्षा के रूप में हुई है। फरमान कार सवारों से बहस करता है और अल्लाह हु अकबर कहने को कहता है। वह भगवा ध्वज छीनने की कोशिश भी करता है। तब तीनों कार सवार उसका पीछा करते हैं लेकिन फरमान और समीक्षा ध्वज जाते हैं। कूड़ देर बाद वे फरमान और समीक्षा दो अन्य लड़कों को अपने साथ लेकर आते हैं और कार सवार लोगों को रोकते रहते हैं। इस दौरान राहुल के सिर पर डंडे से चोट आई। विनायक के नाक की हड्डी में चोट आई है।

दंग सहित 9 धाराओं में केस दर्ज पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इन पर जानबूझकर किसी वार्ष के धर्म या धार्मिक विश्वायों का अपमान करने या उसकी धार्मिक भावाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर अपमान खतराक हथियारों से चोट पहुँचाना, आपरिव्यक्त धमकी देने जैसे धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

ईडी ने शिल्पा शेट्टी का फ्लैट अटैच किया
मुंबई प्रवर्तन निदेशालय ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ की प्रौद्योगिकी कुकुरी है। इसमें शिल्पा शेट्टी का जहां वाला फ्लैट और राज कुंद्रा के नाम पर रजिस्टर्ड बृंगला और इविवेटी शेयर शामिल हैं।

ईडी ने कहा कि अवेदन पर इंडी ने कहा कि केजीवाल जमानत के लिए आधार बनाना चाहते हैं। इसी ने कहा कि केजीवाल हाई ब्लड शुरू कर दिया करते हैं, लेकिन वह जल के अंदर मिटाई और आम खा रहे हैं। इंडी ने चार्ट कोर्ट में पेश किया:

ताकि ब्लड शुगर बढ़े और जमानत मिले; दिल्ली सीएम के वकील ने याचिका वापस ली

नई दिल्ली

वीजेपी कॉर्नेसिंग के माध्यम से चिकित्सक से कंसल्ट करने की अनुमति देने की मांग वाले आवेदन पर ईडी ने राज एवेन्यू कोर्ट में जबाब दाखिल किया है। ईडी ने कहा कि केजीवाल जमानत के लिए आधार बनाना चाहते हैं। इसी ने कहा कि केजीवाल हाई ब्लड शुरू कर दिया जाता है। अदालत ने सामने रखा गया है। वहीं, केजीवाल की तरफ से पेश हुए अधिकारी विवेक जैन ने कहा कि अवेदन वापस लिया



जा चुका है और ईडी द्वारा यह बताना मीडिया के लिए दिया जा रहा है। अदालत ने कहा कि वह मालूम पर शुक्रावर को सुनवाई करेगी। अदालत ने साथ ही जेल प्रशासन को केजीवाल की स्वास्थ्य रिपोर्ट देणे करने को कहा।

ईडी ने कहा कि अवेदन वापस लिया



